

वैशाली समाहरणालय, हाजीपुर

112

(जिला योजना कार्यालय)

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत माननीय विधान पार्षद श्रीमती रावड़ी देवी की अनुशंसा के आलोक में राघोपुर प्रखण्ड में 5 (पाँच) तथा महुआ में 2 (दो) कुल 7 (सात) अग्निशामक गाड़ी (दमकल) बोरिंग तथा हाईड्रेंट के साथ क्य किये जाने का अनुशंसा प्राप्त हुआ है, जिसके आलोक में इच्छुक विक्रेताओं/ डीलरों से मुहरबंद निविदा द्वि लिफाफा प्रणाली में आमंत्रित की जाती है। निविदा दिनांक 28.4.17 को 11.00 बजे अपराह्न तक जिला योजना कार्यालय, वैशाली में जमा कर सकते हैं। निविदा के विशिष्टि के सम्बन्ध में अन्य कोई जानकारी कार्यालय अवधि में कार्य दिवस में जिला योजना कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। प्राप्त निविदा को दिनांक 28.4.17 को ही अपराह्न 3.00 बजे जिला क्य समिति के समक्ष खोला जाएगा, जिसमें निविदादाता स्वयं या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि को उपस्थित रहना अनिवार्य है।

क्र०	अधिष्ठापन हेतु स्थान	आवश्यकता	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1	राघोपुर प्रखण्ड में अग्निशामक गाड़ी (दमकल) बोरिंग तथा हाईड्रेंट के साथ क्य।	05 अदद्	
2	महुआ प्रखण्ड में अग्निशामक गाड़ी (दमकल) बोरिंग तथा हाईड्रेंट के साथ क्य।	02 अदद्	

I. अग्निशामक वाहन का Specification:-

09 टन के चेचिस पर निर्मित वाटर टैंडर टाईप 'बी' 3000 लीटर पानी का टैंक की क्षमता
सभी प्रकार के उपकरणों के साथ IS 950/1980
कुछ आधुनिक उपकरणों के साथ IS 942/1982 के अनुरूप एक 275 एल0पी0एम0 का पोर्टेबुल पम्प।

II. डीप बोरिंग एवं हाईड्रेंट का Specification:-

Sl. No.	Particular	Unit
1	Construction of 150 mm x 100 mm dia x 125 M deep high yielding T/Well complete as per specification laid down in relevant I.S. codes and as per direction of E/I.	01
2	Supplying and installation of 7.5 H.P. submersible pump with motor all accessories complete job.	01
3	Supplying and installation of 15 KVA Silent DG Generating set with all accessories all complete as per specification and direction of E/I.	01
4	Construction of 2.5 m x 2.5 m high generator room complete as per specification laid down in relevant I.S. code and as per direction of E/L.	01
5	Supplying and installation of 01 no hydrant post all complete as per specification.	01

(क) तकनीकी निविदा की शर्तें:-

1. तकनीकी निविदा में 50,000/- (पचास हजार) रुपया मात्र का किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का लौटाने योग्य बैंक ड्राफ्ट, जो जिला योजना पदाधिकारी, वैशाली के पदनाम से देय एवं भुगतये हो, संलग्न करना होगा।
2. निविदादाता को आयकर, वाणिज्यकर निबंधित होना अनिवार्य है।
3. निविदादाता को निबंधित प्रतिष्ठान का प्रमाण-पत्र व संस्था का परिचय संलग्न करना अनिवार्य है।
4. वैट, सी0एस0टी0 के अन्तर्गत निबंधन होने का प्रमाण-पत्र देना होगा।
5. निविदादाता को अद्यतन आयकर रिटर्न की प्रति एवं पैन कार्ड संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. निविदादाता की काली सूची में दर्ज नहीं होने का नोटरी से सत्यापित शपथ-पत्र देना होगा।
7. ऑयोरार्इज डीलरशीप सर्टीफिकेट देना अनिवार्य होगा।
8. आई0एस0ओ0 सर्टीफिकेट की छायाप्रति देना होगा।

9. निविदादाताओं का पिछले तीन वर्षों में 1 करोड़ वार्षिक कारोबार का सी0ए0 से अनुमोदित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
10. निविदादाता को इस आशय का पत्र देना होगा कि उन्हें निविदा की सभी शर्तें मान्य हैं।

(ख) वित्तीय निविदा की शर्तें:-

11. वित्तीय निविदा में उपलब्ध सामग्री का नाम एवं प्रति इकाई दर सभी कर सहित (परिवहन चार्ज, ट्रांजिट इंश्योरेन्स आदि) अंकित करना होगा।

(ख) सामान्य शर्तें:-

12. जिला योजना कार्यालय, वैशाली में मुहरबंद निविदाएँ निर्धारित तिथि एवं समय तक प्राप्त किया जाएगा।
13. तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग मुहरबंद लिफाफे में होना चाहिए।
14. निविदादाताओं द्वारा मशीनों एवं उपकरणों की एक वर्ष की गारंटी देना होगा एवं गारंटी अवधि में खराब हुए पुर्जों को बदलना तथा तकनीकी गड़बड़ी को ठीक करना होगा।
15. गारंटी अवधि के बाद निविदादाताओं द्वारा सर्शत उपरोक्त मशीनों एवं उपकरणों की वार्षिक रख-रखाव एवं मरम्मत करना होगा एवं आवश्यक स्पेयर पार्ट्स एवं उपकरणों की नियमित समुचित आपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा।
16. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता का ही वित्तीय निविदा खोली जाएगी।
17. कायदेश के अनुरूप सामग्रियों की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन निर्धारित समय सीमा 45 दिनों के अन्दर चिन्हित स्थानों पर करना होगा, जिसके लिए अलग से भाड़ा/ कुली देय नहीं होगी।
18. स्वीकृत आपूर्तिकर्ता को अग्निशामक गाड़ी (दमकल) बोरिंग तथा हाईड्रेंट का पाँच वर्षों तक रख-रखाव करना होगा।
19. विवाद की स्थिति में न्यायालय, वैशाली का क्षेत्राधिकार लागू होगा।
20. विपत्र का भुगतान सक्षम पदाधिकारी (तकनीकी) से गुणवत्ता जाँचोपरांत किया जाएगा।
21. निर्धारित दर निविदायें खोले जाने की तिथि से 1 (एक) वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगी।
22. बिना कारण बताए निविदा की स्वीकृति/ रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित है।
23. किसी विवाद की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।


जिला पदाधिकारी,
वैशाली।

ज्ञापांक : 578 /जि0यो0 दिनांक : 19.04.17
प्रतिलिपि : निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को निविदा की सी0डी0 एवं पाँच प्रतियों के साथ प्रेषित। अनुरोध है कि निविदा को प्रचलित समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट


जिला पदाधिकारी,
वैशाली।

ज्ञापांक : 578 /जि0यो0 दिनांक : 19.04.17
प्रतिलिपि : जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी, वैशाली को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि दिनांक 21.04.17 के दैनिक समाचार पत्रों में अपने स्तर से प्रकाशित कराना सुनिश्चित करेंगे।


जिला पदाधिकारी,
वैशाली।

ज्ञापांक 578 /जि0यो0 दिनांक : 19.04.17.

प्रतिलिपि : आई0टी0 मैनेजर, वैशाली को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि जिले के वेबसाईट पर इसे ससमय, उपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।


जिला पदाधिकारी,
वैशाली।